

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,

कौटिल्य नगर, पटना-14.

अलप्कालीन निविदा सूचना संख्या- 57 / 2016

फोन नं०- 2223727

फैक्स नं०-2224529

1.	निविदाकर्ता का पदनाम	:	मुख्य अभियंता, पटना।			
2.	निविदा कागजात विक्री की अन्तिम तिथि एवं समय	:	26-09-2016 को अपराह्न 17.00 बजे तक।			
3.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	:	28-09-2016 को अपराह्न 15.00 बजे तक।			
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	28-09-2016 को 15.30 बजे अपराह्न से।			
5.		:	परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान पर, जो वापस नहीं किया जाएगा।			
6.	परिमाण विपत्र की विक्री का स्थान	:	(क) पुलिस निगम, मुख्यालय। (ख) पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना। (ग) निविदा संबंधित प्रमण्डल से भी विक्री होगी।			
7.	निविदा प्राप्ति का स्थान	:	1. (क) रु० 3.50 लाख से नीचे के कार्य की निविदा संबंधित प्रमण्डल में तथा उपर के कार्य की निविदा मुख्य अभियंता, पटना के कार्यालय में प्राप्त की जायगी। (ख) रु० 3.50 लाख से उपर के कार्य की निविदा पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना।			
8.	सभी निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी।					
9.	निर्माण कार्य का व्यौरा	:				
क्रमांक	कार्य का नाम	प्राककलित राशि (लाख रु. में)	अग्रधन की राशि रु. में।	परिमाण विपत्र का मूल्य रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि	श्रेणी (कैटेगरी)
1.	गया जिलान्तर्गत बी०एम०पी०-३, बोधगया परिसर में 2x8 अदद शौचालय एवं 8 अदद स्नानागार में विद्युतिकरण कार्य	0.53	1100	500	15 दिन	सामान्य
2.	गया जिलान्तर्गत अलीपुर थाना में नया भवन का विद्युतिकरण कार्य	0.69	1400	500	15 दिन	अति पिछड़ा वर्ग
3.	गया जिलान्तर्गत पुलिस अधीक्षक के आवासीय परिसर में 10 सिपाहियों के बैरक में विद्युतिकरण कार्य	0.66	1400	500	15 दिन	सामान्य
4.	ओरंगाबाद जिलान्तर्गत भलुआही सी०आर०पी०० एफ०कैम्प के आवास एवं बैरकों में फौल्स सिलिंग का अवशेष कार्य	9.90	19800	1250	2 माह	अनुसूचित जानजाति
5.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी के आवासीय भवन का मरम्मति कार्य	8.45	16900	1250	2 माह	सामान्य
6.	जहानाबाद जिलान्तर्गत जहानाबाद में नारकोटिक ड्रग स्टोर में विद्युतिकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	0.20	400	250	45 दिन	पिछड़ा वर्ग
7.	मुंगेर जिलान्तर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ऑपरेशन ब्रीफींग हॉल में विद्युतिकरण कार्य	0.43	900	250	15 दिन	सामान्य
8.	भागलपुर जिलान्तर्गत शहीद जुबा साहनी केन्द्रीय कारा एवं विशेष केन्द्रीय कारा में निर्मित 12 काउण्टर मुलाकाती कक्ष को कारा के मुख्य कक्ष से जोड़ने का निर्माण कार्य	1.28	2600	500	2 माह	अनुसूचित जाति
9.	भागलपुर जिलान्तर्गत नौगछिया अग्निशाम केन्द्र में जलापूर्ति हेतु फायर हार्डिंग्न का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	5.90	11800	1250	1 माह	अत्यंत पिछड़ा वर्ग

10. निविदा वैधता की अवधि 180 दिन होगी ।
11. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निवदादाता की निविदा अमान्य मानी जायेगी । परिमाण विपत्र की दर से कम दर देने वाले निविदादाता से Additional Performance guarantee रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि लिया लायेगा ।
12. इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यावधि में देखी जा सकती हैं । इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तदनुसार किया जा सकता है ।
13. अग्रधन की राशि 6/5 वर्षीय बचत प्रमाण—पत्र (आठवां निर्भम) / बैंक ड्राफ्ट एवं किसान विकास—पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो, दिनांक—28-09-2016 तक का बना हुआ ही मान्य होगा । पर्याप्त अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी ।
14. परिमाण—विपत्र विक्री के समय सम्बेदक निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों की स्थ—अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रत्युत करेंगे एवं उनकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :—आयकर पैन नं. विक्रीकर निवंधन उधित श्रेणी का निवंधन प्रमाण—पत्र तथा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त संघ चरित्र प्रमाण—पत्र । निविदा के साथ भी उपर्युक्त राशि अद्यतन प्रमाण—पत्रों की पठनीय अभिप्रमाणित फोटो प्रति देना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी । अद्यतन प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा ।
15. लोक सेवक निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।
16. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ ही दर प्रक्रमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।
17. निगम द्वारा अनुमोदित विशिष्टि का सीमेंट एवं स्टील सम्बेदक स्वयं आपूर्ति करेंगे । सीमेंट आई०एस० 8112—1989, आई०एस० 455—1989 छड़ घी०आई०एस० 1786 के अनुरूप होना चाहिए तथा आई०एस०ओ० 9001/ 9002, आई०एस०ओ० 14001—1996 प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
18. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी ।
19. किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रख दर करने का अधिकार निगम को सुरक्षित होगा ।
20. कार्य की प्रावकलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण—विपत्र के अनुसार अग्रधन की राशि देय होगी ।
21. अग्रधन के संबंध में तथा अन्य शर्तों परिमाण विपत्र के साथ दस्तावेज में देखी जा सकती है ।
- 22(क) आरक्षित कोटे की निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्रावकलित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी में यथा प्रावधानित ठीकेदारी पंजीकरण कराना निगम में आवश्यक होगा, जिसका पंजीकरण शुल्क 3000/- (तीन हजार रुपये) होगी । इस श्रेणी में निवंधित संवेदक 15.00 लाख तक की निविदा में हीं भाग ले सकते हैं । जो संवेदक पूर्व से निगम में निवंधित हैं एवं आरक्षित कोटि के हैं, वे निविदा में भाग ले सकते हैं । उन्हें पुनः निवंधन कराना अनिवार्य नहीं होगा ।
- 22(ख) अन्य सरकारी विभाग यथा—सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपकम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के निवंधित सम्बेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निवंधन कराना अनिवार्य होगा । अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निवंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निवंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
23. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :— (i) डिवार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर जिए हों, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हों ।
24. विद्युतीकरण कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा । विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ—पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
25. परिमाण विपत्र विक्री की तिथि या निविदा प्राप्ति/खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चय समझा जायेगा ।
26. परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेख्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के द्वारा दिनांक—26-09-2016 तक का ही बना हुआ रसीकार होगा, जो महानिदेशक—सह—अध्यक्ष—सह—प्रबन्ध निदेशक, विहार पुलिस भवन निगम के नाम हो एवं पटना में भुगतेय हो ।
27. सभी गैर—अनुसूचित मदों का दर (शून्य या अस्पष्ट दर नहीं भरना है) संवेदक द्वारा यथोचित स्थान पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा । इसके अभाव में निविदा अमान्य मानी जायेगी ।
28. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है ।
29. निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपरिथित रहेंगे एवं यथा निदेशित अभिलेखों पर हस्ताक्षर करेंगे ।
30. निविदा कागजात अध्याय—6 कंडिका—6.11 में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए सभी कागजातों की विवरणी अंकित करना अनिवार्य है अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा ।

31. निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा एवं संलग्न सभी कागजातों पर वायें तरफ हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
32. अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के एक संवेदक को एक वित्तीय वर्ष में उक्त प्रावधानों के अधीन सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपकम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्य की अधिकतम सीमा रु0 25.00 लाख (पच्चीस लाख) होगी। इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में विषयांकित प्रावधान के आधार पर अब तक उन्हें आवंटित सभी कार्यों की कुल राशि की शपथ पत्र (Affidavit) देना अनिवार्य होगा।
33. नियमानुसार अंकित कमांक कोटिवार आरक्षण के तहत आरक्षित किया जाता है। सक्षम प्राधिकार से निर्भाव जाति प्रमाण पत्र की रव-अभिप्राप्ति प्रति तथा शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विषयांकित सविधा से उन्हे हमेशा के लिए बचित कर दिया जाएगा।

14-9-2016
मुख्य अभियंता,
विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच०क्यू- 4121 (A)

पटना, दिनांक- 14-09-16

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल - पटना, मगध-कैम्प डेहरी, भागलपुर, एवं पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

14-9-2016
मुख्य अभियंता,
विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच०क्यू- 4121 (A)

पटना, दिनांक- 14-09-16

प्रतिलिपि- मुख्य तकनीकी परामर्शी, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल- 1/2, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक / कार्यपालक अभियंता-मोनिटरिंग, मुजफ्फरपुर, कैम्प-हाजीपुर, राजगीर, एवं दरभंगा / सहायक प्रावैधिक सचिव/निरुपण-1/2 / सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

14-9-2016
मुख्य अभियंता,
विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच०क्यू- 4121 (A)

पटना, दिनांक- 14-09-16

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, सीतामढी, मुंगेर, बांका एवं पूर्णियों को सूचनार्थ प्रेषित।

14-9-2016
मुख्य अभियंता,
विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।